

मूल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0रां0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-भदेसर जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

बईजलास- श्री मांगीलाल रेगर, आर0ए0एस0,
केम्प रेवलियाखुर्द

1. प्रभु पिता छोगा जाट वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़
2. उदयराम पिता छोगा जाट वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....वादीगण

॥ बनाम ॥

1. प्रभु पिता हजारी जाट वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़
2. रतन पिता हजारी जाट वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़
3. शंकरी पुत्री लोभा जाट वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़
4. बालू पिता हजारी जाट वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़
5. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 रा0 का0 अधि0 1955प्रकरण संख्या 200/2017

वादी की ओर से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादीगण की ओर से -- की उपस्थिति में इस वाद को आज राजस्व लोक अदालत केम्प रेवलियाखुर्द पर दिनांक 08-06-2018 को न्यायालय के समक्ष पटवारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है वादीगण की मौजा मानपुरा पटवार केम्प रेवलियाखुर्द में स्थित खातदारी की आराजी नम्बर 392 मी0 रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का अवैधानिक कब्जा हटवाया जाकर वादीगण को सुपुर्द कराये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें न करावें न ही अवैध कब्जा अन्य किसी को अन्तरित करें । । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 08-06-2018 को डिक्री पचा मुर्तिब किया गया ।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ़